न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री लक्ष्मीनारायण मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./14/19/भीलवाड़ा (2019/00014)

विभागीय अपील द्वारा श्री बंशीलाल कुम्हार तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत सगरेव पंचायत समिति रायपुर जिला भीलवाड़ा विरूद्ध आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाड़ा, के आदेश क्रमांक जिपभी/स्था./विजा–17/2017/15444–49 दिनांक 30–10–2017 के द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत तीन वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री बंशीलाल कुम्हार तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत सगरेव पंचायत समिति रायपुर जिला भीलवाड़ा।

निर्णय

दिनांकः–13.03.2020

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 की धारा 23 के अन्तर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाड़ा, दिनांक 30–10–2017 के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 27.10.2016 को एक ज्ञापन अन्तर्गत नियम 17 सीसीए के मय आरोप पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या– 1

यह कि ग्राम जगपुरा (सगरेव) में हैण्डपम्प स्थापना का कार्य बिना तकनीकी स्वीकृति व तकनीकी अधिकारी द्वारा माप पुस्तिका में इन्द्राज किये बिना ही अनियमित भुगतान करने के लिए आप उत्तरदायी है।

आरोप संख्या– 2

यह कि ग्रा.प. सगरेव में पंचायत के पास नाली निर्माण कार्य बिना तकनीकी स्वीकृति के किया जाकर अनियमित भुगतान करने के लिए आप उत्तरदायी है।

आरोप संख्या– 3

यह है कि ग्राम नयाखेड़ा सगरेव में सी.सी.रोड़ मय नाली निर्माण कार्य कराये बिना एवं बिना तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति के अनियमित भुगतान एवं ठेकेदारा को अग्रिम भुगतान करने के लिए आप उत्तरदायी है।

आरोप संख्या– 4

यह है कि वाल पेंटिग कार्य का भुगतान बिना बिलों के प्रमाणीकरण के अनियमित भुगतान करने के लिए आप उत्तरदायी है।

आरोप संख्या– 5

यह है कि पाईप लाईन मरम्मत कार्य एवं सी.सी.रोड़ मय नाली निर्माण कार्य बिना तकनीकी स्वीकृति के करा अनियमित भुगतान करने के लिए आप उत्तरदायी है।

आरोप संख्या– 6

यह है कि सी.सी.रोड़ होली चौक से सगरेव में अधिक मूल्यांकन किया जाकर अनियमित भुगतान करने तथा ग्राम जगपुरा की पनघट योजना में बिना कार्य कराये भुगतान के लिए आप उत्तरदायी है।

आरोप संख्या– 7

यह है कि ग्राम जगपुरा की पनघट योजना बिना कार्य कराये भुगतान करने के लिए आप उत्तरदायी है।

आरोप संख्या– 8

यह है कि परवती रोड़ पर पुलिया निर्माण कार्य बिना तकनीकी स्वीकृति कराने के लिए आप उत्तरदायी है।

अपीलान्ट को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इन्होंने निर्धारित अवधि में लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर लगाये गये आरोप से असहमति व्यक्त की। इसलिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। इस पेशी पर अपचारी कार्मिक उपस्थित हुए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, भीलवाड़ा द्वारा अपचारी कार्मिक को सुनने के पश्चात दिनांक 30–10–2017 को आदेश पारित किया जिसमें अपीलान्ट को उक्त विभागीय जांच में आयत आरोपों को पूर्णतया सिद्ध हुआ मानकर इसके तहत अपचारी कर्मचारी

को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत तीन वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, भीलवाड़ा के उक्त दण्डादेश को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज की जाकर अपीलान्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भीलवाड़ा का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलान्ट को व्यक्तिशः सुना गया। इनका कथन है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–10–2017 विधिविरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अपचारी कर्मचारी द्वारा अपनी प्रस्तुत अपील में एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उस पर लगाये गये आरोप संख्या 1 का जवाब देते हुए कथन किया गया है कि जांच कमेटी द्वारा जांच रिपोर्ट में अंकित तीनों हैण्डपम्पों का भौतिक निरीक्षण किया गया। ग्राम पंचायत सगरेव द्वारा तीनो हैण्डपम्पों की स्थापना की गई तथा 1.80 लाख रूपये का अनियमित रूप से भुगतान का अंकन गलत है। जबकि उक्त कार्य के लिए ग्राम पंचायत द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्र. /ग्रापस/निर्माण/2015–16/06 दिनांक 3 मार्च, 2015 से कार्य स्वीकृति जारी की गई। उक्त स्वीकृति कनिष्ठ अभियन्ता के तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति के बाद जारी की गई। हैण्डपम्पों का भुगतान ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अनुरूप ही किया गया है। ग्राम पंचायत सगरेव की ग्राम सभा दिनांक 5–3–2015 के प्रस्ताव संख्या 7 में उक्त हैण्ड पम्पों का प्रस्ताव लिया गया था जिसका सर्वसम्मति से ग्राम सभा में अनुमोदन किया गया। तकनीकी अधिकारी के समक्ष हैण्डपम्पों की स्थापना के संबंध में मापपुस्तिका में इन्द्राज करने हेतु निवेदन किया गया परन्तु तकनीकी अधिकारी एवं उप सरपंच ग्राम पंचायत सगरेव घनश्याम के द्वारा मिलीभगत कर अनैतिक राशि की मांग किये जाने से तकनीकी अधिकारी द्वारा अपने कार्य का निर्वहन नहीं किया गया जिसके लिए तकनीकी अधिकारी जिम्मेदार है। ग्रामीण क्षैत्र में विकास एवं जनता की समस्या /आपदा से संबंधित कार्य ग्राम सभा के माध्यम से राहत प्रदान की जाती है। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में पानी की समस्या का समाधान किया गया। अतः आरोप में अंकित तथ्य वास्तविकता से परे होने से आरोप निरस्त योग्य होने के कारण दण्डादेश भी निरस्त योग्य है।

व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आरोप संख्या 2 के संबंध में उन्होंने यह कथन किया कि उक्त कार्य का ग्राम पंचायत सगरेव की ग्राम सभा दिनांक 5–3–2015 के प्रस्ताव संख्या 7 में प्रस्ताव लिया गया। ग्राम पंचायत सगरेव द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्र./ग्रापस/निर्माण/2015–16/32 दिनांक 16–7–2015 को जारी की गई। जांच कमेटी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

जिसमें अंकित किया गया कि ''पंचायत के पास नाली निर्माण एमबी के अनुसार नहीं पाया गया''। केवल यह एक लाईन अंकित की गई। जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकित नहीं है कि कितनी नाली मरम्मत का कार्य करवाया गया व कितना नहीं कराया गया इसका कोई विवरण अंकित नहीं है तथा किस प्रकार नाली निर्माण एम.बी के अनुसार नहीं पाई गई इसका भी कोई विवरण अंकित नहीं है। नाली निर्माण कार्य हेतु मस्टररोल संख्या 43451 से कार्य कराया गया जिसमें 37 मानव दिवस में कार्य किया गया। उन कारीगर, श्रमिकों व वार्डपंचों के बयान जांच कमेटी द्वारा नहीं लिये गये। मौके पर नाली निर्माण आज भी मौजूद है। नाली निर्माण के अनुसार ही मापपुस्तिका में इन्द्राज किया गया है। ग्राम पंचायत सगरेव की ग्राम सभा दिनांक 9–12–2015 के प्रस्ताव संख्या 34 में संबंधित नाली निर्माण के भुगतान का अनुमोदन किया गया। इस प्रकार समस्त कार्यवाही विधिवत एवं ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अनुसार होने पर ग्रामीण निर्देशिका में निर्धारित दर से भुगतान की कार्यवाही की गई। संबंधित को भुगतान रेखांकित चेक से किया गया। अतः अपीलार्थी पर आयत उक्त आरोप निराधार होने से इसके आधार पर पारित दण्डादेश भी निरस्त योग्य है।

व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आरोप संख्या 3 के संबंध में उन्होंने यह कथन किया कि ग्राम पंचायत सगरेव की ग्राम सभा दिनांक 5–3–2015 में प्रस्ताव संख्या 8 में प्रस्ताव पारित किया गया जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। ग्राम पंचायत सगरेव द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक /ग्रापस/निर्माण/2015–16/77 दिनांक 5–10–2015 को जारी की गई। नाली निर्माण मस्टररोल संख्या 43460 से कराया गया जिसमें 180 श्रमिकों द्वारा कार्य किया गया। जांच कमेटी द्वारा भी मौके पर कार्य होना पाया गया। आरोप में केवल यह अंकित करना कि बिना तकनीकी अधिकारी के माप पुस्तिका में इन्द्राज किया जाना अंकित किया गया । तकनीकी अधिकारी को मापपुस्तिका में इन्द्राज हेतु निवेदन किया गया किन्तु उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया गया। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कार्य गुणवत्तापूर्ण होने का उल्लेख किया गया है। संबंधित फर्म द्वारा राशि की मांग किये जाने से सामग्री मद का केवल आंशिक भुगतान किया गया। श्रम व सामग्री मद का अंतिम भुगतान मूल्यांकन के अभाव में नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायत सगरेव की ग्राम सभा दिनांक 9–12–2015 के प्रस्ताव संख्या 34 में संबंधित कार्य के भुगतान का अनुमोदन किया गया। आरोप में अंकित तथ्य वास्तविकता से परे होने से आरोप निरस्त योग्य होने के कारण इसके आधार पर जारी दण्डादेश भी निरस्त योग्य है।

आरोप संख्या 4 के संबंध में उन्होंने यह कथन किया कि वाल पेंटिग कार्य पंचायत समिति रायपुर के द्वारा निर्धारित दरों पर कराया गया । आरोप पत्र में यह अंकित करना कि कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र नहीं लिया गया। वाल पेंटिग में कार्य

पूर्णता प्रमाण पत्र किससे लिया जाना होता है तथा किस प्रकार का लिया जाना होता है जबकि वाल पेंटिग का कार्य होने पर संबंधित फर्म को रेखांकित चेक के माध्यम से भुगतान किया गया था। अतः आरोप निरस्त योग्य होने से दण्डादेश भी निरस्त योग्य है।

प्रार्थी/अपीलार्थी ने आरोप संख्या 5 के संबंध में कथन किया है कि ग्राम पंचायत सगरेव की ग्राम सभा दिनांक 9–12–2015 के प्रस्ताव संख्या 35 द्वारा पाईप लाईन मरम्मत के व्यय का अनुमोदन व भौतिक सत्यापन किया गया जिसका सर्वसम्मति से ग्राम सभा में अनुमोदन किया गया। ग्राम पंचायत सगरेव में भीषण गर्मी में तालाब में स्थित मुख्य कुई के पास करीबन 1000 फिट की दूरी पर अन्य पेयजल कुई स्थित है, जिसका पाईप लाईन से कनेक्शन इस मुख्य कुई से था उस कुई से पानी मुख्य कुई में डालकर सप्लाई करने एवं खराब मोटर की मरम्मत कराई गई। उक्त कार्य में जो सामग्री उपयोग में ली गई वह मौके पर आज भी मौजूद है। जांच कमेटी द्वारा भी मौके पर कार्य होना पाया गया है। अतः आरोप निरस्त योग्य होने से दण्डादेश भी निरस्त योग्य है।

व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आरोप संख्या 6 के संबंध में उन्होंने यह कथन किया कि ग्राम सगरेव में सीसीरोड होली चोक का कार्य मेरे द्वारा नहीं कराया गया। उक्त कार्य पूर्व सरपंच एवं पूर्व सचिव के द्वारा कराया गया। उक्त कार्य की माप पुस्तिका तकनीकी अधिकारी द्वारा भरी जाकर मूल्यांकन किया गया। इस प्रकार अपचारी पर आयत आरोप गलत एवं निराधार होने से आरोप एवं दण्डादेश भी निरस्त योग्य है।

व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आरोप संख्या 7 के संबंध में उन्होंने यह कथन किया कि जांच अधिकारी द्वारा कार्य के संबंध में कोई विवरण अंकित नहीं किया गया। श्री उदयराम/जसु गुर्जर के बयान के आधार पर आरोप आयत नहीं किया जा सकता है। मौके पर ग्राम पंचायत द्वारा पनघट का मरम्मत का कार्य कराया गया। प्रकरण में सबंधित वार्डपंच व संबंधित फर्म से सामग्री प्राप्त की गई इस बाबत उनसे जानकारी ली जानी चाहिए थी। मौके पर किसी प्रकार का जनसहयोग नहीं लिया गया। यदि किसी के द्वारा जन सहयोग दिया जाता तो कितनी–कितनी राशि किसके द्वारा दी गई उसका विवरण भी आरोप पत्र में अंकित किया जाना चाहिए था।

आरोप संख्या 8 के संबंध में कथन है कि परवती रोड पर पुलिया निर्माण कार्य महानरेगा योजनान्तर्गत जिला स्तर से स्वीकृत किया गया जिसमें तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति जारी की जाती है। अतः बिना तकनीकी स्वीकृति का लगाया गया आरोप गलत है। जांच रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपरी सीसी में एक लम्बी दरार पाई गई उक्त कार्य मेरे कार्यकाल में नहीं

कराया गया। अतः आरोप में अंकित तथ्य वास्तविकता से परे होने से आरोप एवं इन आरोपों के आधार पर पारित दण्डादेश अपास्त योग्य है।

उन्होंने बहस के दौरान यह भी कथन किया कि तकनीकी अधिकारी व वर्तमान उपसरपंच सगरेव श्री घनश्याम के द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया गया जिसके लिए तकनीकी अधिकारी जिम्मेदार है। ग्राम पंचायत में लिये गये प्रस्तावों पर कार्य करना सरपंच व सचिव का कर्तव्य एवं दायित्व है। जांच कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट में आरोप में अंकित कार्य मौके पर होना व गुणवत्तापूर्वक पाया गया। जांच कमेटी की रिपोर्ट में तकनीकी अधिकारी द्वारा जांच की गई। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा किये गये कार्यो का भुगतान किया गया जो सही है। उक्त आरोपों में कराये गये कार्यो का अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा किया गया था तथा कार्यो के व्यय का अनुमोदन भी ग्राम सभा में किया गया । ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये कार्य वर्तमान में जन उपयोग में आ रहे है। साथ ही यह भी निवेदन है कि सरपंच ग्राम पंचायत सगरेव व अपीलार्थी को समान आरोपों से आरोपित किया गया था। संभागीय आयुक्त कार्यालय द्वारा उक्त प्रकरण में सरपंच ग्राम पंचायत सगरेव पंचायत समिति रायपुर जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध प्रकरण समाप्त कर दिया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध लगाये गये आरोप भी इसके समान ही है जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, भीलवाड़ा द्वारा तीन वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश पारित कर दिये। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् भीलवाड़ा द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 30–10–2017 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् भीलवाड़ा से पैरावाईज टिप्पणी प्राप्त की गई जिसमें उनके द्वारा टिप्पणी अंकित कर कथन किया कि लोकायुक्त प्रकरण द्वारा श्री घनश्याम दाधीच उप सरपंच ग्राम पंचायत सगरेव का कार्यकाल में प्राप्त होने पर उक्त परिवाद की जांच विकास अधिकारी पंचायत समिति रायपुर से चाही गई। विकास अधिकारी पंचायत समिति द्वारा पंचायत समिति स्तर के गठित जांच दल से प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांक 16–6–2016 से सरपंच श्री दशरथ ढोली एवं ग्राम सेवक श्री बंशीलाल कुम्हार ग्राम पंचायत सगरेव को अनियमितता के क्रम में अनुपातिक राशि जमा कराने के नोटिस जारी किये गये। विकास अधिकारी पंचायत समिति रायपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार जांच रिपोर्ट में वर्णित अनियमितताओं के लिए सरपंच श्री दशरथ ढोली एवं ग्राम सेवक श्री बंशीलाल कुम्हार ग्राम पंचायत सगरेव को उत्तरदायी मानते हुए सरपंच श्री दशरथ ढोली के विरूद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत कार्यवाही बाबत प्रस्ताव संभागीय आयुक्त कार्यालय में पत्रांक 36–39 दिनांक 2–1–2017 से प्रेषित किये गये। उक्त जांच में सरपंच श्री दशरथ ढोली के विरूद्ध विस्तृत जांच के आदेश प्राप्त होने पर जांच

पत्रावली पत्रांक 4220 दिनांक 27–4–2017 से पुनः संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर को प्रेषित की गई जिसमें संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा दिनांक 1–8–2017 में पारित निर्णय अनुसार भविष्य में सतर्कता से कार्य करने की चेतावनी के साथ सरपंच दशरथ ढोली के विरूद्ध जांच प्रकरण को समाप्त कर दिया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा उनकी पैरावाईज टिप्पणी में यह भी कथन किया गया है कि श्री बंशीलाल कुम्हार ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पांयत सगरेव पंचायत समिति रायपुर को उत्तरदायी मानते हुए कार्यालय जिला परिषद के पत्रांक 5021–5022 दिनांक 27–10–2016 से श्री कुम्हार के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण नियंचण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के तहत ज्ञापन आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र जारी कर तामील कराये गये। श्री कुम्हार को उस पर आयत आरोपों का जवाब प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर दिये गये। उनके द्वारा दिनांक 13–6–2017 को जवाब प्रस्तुत कर सभी आरोपों को अस्वीकार किया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा उनकी पैरावाईज टिप्पणी में यह भी अंकित किया गया है कि अपीलार्थी पर विभागीय जांच में जांच अधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित पाये जाने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, भीलवाड़ा द्वारा दण्डादेश दिनांक 30–10–2017 जारी किया गया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंनें अपीलार्थी द्वारा अपील में उठाये गए बिन्दुओं पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित टिप्पणी, नोटशीट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी कार्मिक को जारी आरोप पत्रों एवं अपचारी कार्मिक द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अपचारी ग्राम सेवक श्री बंशीलाल कुम्हार द्वारा उनके विरूद्ध निकाली गई वसूली जो कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति रायपुर की निष्कर्षात्मक रिपोर्ट दिनांकित 16–6–2016 के आधार पर निकाली गई थी, के विरूद्ध अपचारी ग्राम सेवक द्वारा एक एस.बी.सिविल रिट पिटीशन नम्बर 9749/2016 बउनवान बंशीलाल कुम्हार बनाम राजस्थान सरकार व अन्य माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर की गई। **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय/आदेश दिनांक 13–1–2017 के द्वारा अपीलार्थी को उक्त जांच में सम्मिलित किये बिना व बिना नोटिस दिये अपचारी के विरूद्ध की गई जांच जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों**

के विपरीत होने से अपचारी ग्राम सेवक को वसूली की रकम जमा कराने बाबत दिये गये निर्देशों को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थीगण को यह छूट प्रदान की गई कि वे अपचारी ग्राम सेवक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप नये सिरे से आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है। यहां यह उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में पुनः नये सिरे से कार्यवाही किये बिना दिनांक 16–6–2016 की रिपोर्ट के आधार पर ही अपचारी ग्राम सेवक श्री बंशीलाल कुम्हार के विरूद्ध अपीलाधीन दण्डादेश दिनांक 30–10–2017 पारित कर दिया गया जो कि विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होने पर कि प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा के द्वारा जिला परिषद् भीलवाड़ा से उक्त प्रकरण में विकास अधिकारी पंचायत समिति रायपुर की जांच रिपोर्ट जो विकास अधिकारी द्वारा उनके पत्रांक 272 दिनांक 16–6–2016 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाड़ा को भिजवाई गई थी, जो चाही जाने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, भीलवाड़ा के पत्रांक 4395 दिनांक 16–5–2017 से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा को भिजवाई गई है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भीलवाड़ा द्वारा पत्रांक जिपभी/ स्थापना/2019/4658 दिनांक 24–1–2020 एवं उसके संलग्न उन्हें संबोधित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, भीलवाड़ा द्वितीय पत्रांक भ्रनिब्यूरो/भील.–द्वितीय/2017/65 दिनांक 23–1–2020 प्राप्त हुआ जिसके अनुसार दशरथमल ढोली–सरपंच, श्री बंशीलाल–सचिव, ग्राम पंचायत सगरेव पंचायत समिति रायपुर जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध एक परिवाद संख्या 194/2016 दिनांकित 17–8–2016 दर्ज होकर परिक्षणोपरान्त अभियोग पंजीबद्ध किया जाकर अपराध संख्या 289/2018 दर्ज होकर अन्तर्गत धारा 13(1)(डी)(13)(2) पीसीएक्ट 1988 एवं 120 बी भा.द.स. में अनुसंधान विचाराधीन है जिसका अनुसंधान वर्तमान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों प्रथम द्वारा किया जा रहा हैं।

यहां यह उल्लेखनीय होगा कि चूंकि प्रकरण में विकास अधिकारी पंचायत समिति द्वारा पंचायत समिति स्तर के गठित जांच दल से प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांक 16–6–2016 से सरपंच श्री दशरथ ढोली एवं ग्राम सेवक श्री बंशीलाल कुम्हार ग्राम पंचायत सगरेव को अनियमितता के क्रम में अनुपातिक राशि जमा कराने के नोटिस जारी किये गये थे। विकास अधिकारी पंचायत समिति रायपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार जांच रिपोर्ट में वर्णित अनियमितताओं के लिए सरपंच श्री दशरथ ढोली एवं ग्राम सेवक श्री बंशीलाल कुम्हार ग्राम पंचायत सगरेव को

उत्तरदायी मानते हुए सरपंच श्री दशरथ ढोली के विरूद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत कार्यवाही बाबत प्रस्ताव संभागीय आयुक्त कार्यालय में पत्रांक 36–39 दिनांक 2–1–2017 से प्रेषित किये गये। उक्त जांच में सरपंच श्री दशरथ ढोली के विरूद्ध विस्तृत जांच के आदेश प्राप्त होने पर जांच पत्रावली पत्रांक 4220 दिनांक 27–4–2017 से पुनः संभागीय आयुक्त कार्यालय को प्रेषित की गई जिसमें संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा दिनांक 1–8–2017 में पारित निर्णय अनुसार भविष्य में सतर्कता से कार्य करने की चेतावनी के साथ सरपंच दशरथ ढोली के विरूद्ध जांच प्रकरण को समाप्त कर दिया गया।

अतः उपरोक्त स्थिति में श्री बंशी लाल कुम्हार के विरूद्ध पारित अपीलाधीन दण्डादेश दिनांक 30–10–2017 को अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपचारी ग्राम सेवक की अपील स्वीकार की जाती है तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् भीलवाड़ा द्वारा अपचारी कर्मचारी के विरूद्ध पारित दण्डादेश क्रमांक जिपभी/स्था/वि.जांच–17/2017/15444–49 दिनांक 30–10–2017 विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किया जाता है। चूंकि उक्त प्रकरण में श्री दशरथमल ढोली–सरपंच, श्री बंशीलाल–सचिव, ग्राम पंचायत सगरेव पंचायत समिति रायपुर जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग भीलवाड़ा में दर्ज परिवाद संख्या 194/2016 दिनांकित 17–8–2016 एवं इसमें परिक्षणोपरान्त पंजीबद्ध अभियोग अपराध संख्या 289/2018 अन्तर्गत धारा 13(1)(डी)(13)(2) पीसीएक्ट 1988 एवं 120 बी भा.द.स. में विचाराधीन अनुसंधान जिसका अनुसंधान वर्तमान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों प्रथम द्वारा किया जा रहा हैं वह इस अपीलाधीन आदेश से अप्रभावित रहेगा एवं साथ ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में जैरकार अनुसंधान के उपरान्त प्रकरण में भविष्य में होने वाले निर्णय अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(लक्ष्मी नारायण मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर